



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 72 वर्ष 2026

ओम मिश्रा (अवयस्क) द्वारा अपनी दादी विमला मिश्रा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गृह सचिव लखनऊ और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अनुराग सिंह

न्यायालय संख्या -14

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह व राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मयंक सिन्हा और विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह के तर्कों को सुना गया।
2. यह याचिका मास्टर ओम मिश्रा पुत्र भूपेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से उनके दादा श्री विजय कुमार मिश्रा और दादी श्रीमती विमला मिश्रा के माध्यम से दाखिल की गई है। इस याचिका में हैबियस कॉर्पस / बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग की गई है, जिसके अधीन विपक्षी संख्या 4 श्रीमती साधना भूपेंद्र कुमार मिश्रा की पत्नी और बच्चे की माँ को यह आदेश दिया जाए कि वे बच्चे ओम मिश्रा को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और दादा-दादी को बच्चे से मिलने का अधिकार / विजिटेशन राइट्स प्रदान करें।
3. रिट याचिका में यह कथन किया गया है कि बच्चे के पिता भूपेंद्र कुमार मिश्रा का लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनोरोग संबंधी विकार का इलाज चल रहा है, और इसलिए हिरासत में रखे गए ओम मिश्रा की देखभाल का दायित्व बच्चे के दादा-दादी के कंधों पर आ गई है।
4. बच्चे के पिता श्री भूपेंद्र कुमार मिश्रा ने विपक्षी संख्या 4 श्रीमती साधना मिश्रा से 01.02.2017 को विवाह किया था। इस विवाह से 30.11.2019 को मास्टर ओम मिश्रा का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जन्म हुआ। याचिका में यह कथन किया गया है कि कुछ पारिवारिक विवादों के कारण विपक्षी संख्या 4 ने 22.11.2023 को अपना वैवाहिक गृह छोड़ दिया। 24.11.2023 को उन्होंने महिला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों पर आरोप लगाए गए थे। बच्चे के पिता ने भी 05.12.2023 को विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई है। इसके पश्चात बच्चे की माँ ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 29, लखनऊ में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत एक परिवाद दाखिल की, जिसे परिवाद वाद संख्या 1947 वर्ष 2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। विपक्षी संख्या 4 ने धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता / 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी एक आवेदन दाखिल किया है।

5. पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 5 ने पुलिस थाना- आशियाना, लखनऊ में अपने पति भूपेंद्र कुमार मिश्रा और पांच अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराधों के लिए वाद संख्या 58 वर्ष 2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है। अवयस्क बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा है। उसकी माँ ने उसे एक विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया है। माँ बच्चे के कल्याण का ध्यान रख रही है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को दिए गए निर्देशों में बताए गए तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि बच्चे को अवैध निरोध में रखने का कोई प्रकरण नहीं बनता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विपक्षी संख्या 4 ने एक प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें कथन किया गया है कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उस पर बुरा व्यवहार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में उसने पुलिस स्टेशन- आशियाना, जिला- लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58 वर्ष 2024 पंजीकृत कराई है। इसके पश्चात शीला पांडे नामक एक महिला ने 06.05.2024 को विपक्षी संख्या 4 और उसके दो भाइयों के विरुद्ध धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया, जिसके आधार पर परिवाद वाद संख्या 21623 वर्ष 2025 पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण में माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 2 / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने दिनांक 13.05.2025 को एक आदेश पारित करते हुए विपक्षी संख्या 4 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 504, 506 के अंतर्गत अपराधों हेतु अभियोग का विचारण करने हेतु तलब किया है, और उसके भाइयों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 379, 504, 506 के अंतर्गत अपराधों हेतु अभियोग का विचारण करने हेतु तलब किया गया है। विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि यह सब विपक्षी संख्या 4 के पति और उसके परिवार के सदस्यों के संकेत पर किया गया है।

7. विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि बच्चा अपनी माँ के साथ खुशी-खुशी रह रहा है, जो उसकी नैसर्गिक संरक्षिका है, और बच्चा किसी भी प्रकार की अवैध निरोध में नहीं है।

8. रिट याचिका में किए गए कथनों से ही बच्चे को अवैध निरोध में रखने का कोई मामला नहीं बनता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से जो तथ्य सामने आते हैं, उनसे यह संकेत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मिलता है कि वैवाहिक विवाद के कारण विपक्षी संख्या 4 को उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया है और वह अपने नाबालिग पुत्र को अपने साथ रख रही है, जो कि बच्चे को अवैध निरोध में रखना नहीं है।

9. **तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी: (2019) 7 SCC 42** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर विभिन्न पूर्व-निर्णयों पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि: -

19. बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही का उद्देश्य अभिरक्षा को उचित ठहराना या उसकी वैधता की जांच करना नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा बच्चे की अभिरक्षा का मामला न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है, जो एक असाधारण उपचार है, यह रिट मात्र उन्हीं परिस्थितियों में जारी की जाती है, जब किसी विशेष प्रकरण में विधि द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपचार या तो उपलब्ध न हो, या फिर अप्रभावी हो, अन्यथा यह रिट जारी नहीं की जाएगी। बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े प्रकरणों में रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति मात्र उन्हीं प्रकरणों तक सीमित है, जहाँ किसी नाबालिग को ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिरक्षा में रखा गया हो, जो उसकी विधिक अभिरक्षा का अधिकारी न हो। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े प्रकरणों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तभी स्वीकार्य है, जब यह सिद्ध हो जाए कि किसी नाबालिग बच्चे को उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिरक्षा में रखना अवैध था और विधि के किसी भी अधिकार के बिना किया गया था।

20. बच्चों की कस्टडी (अभिरक्षा) से जुड़े प्रकरणों में सामान्य उपचार मात्र हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत ही उपलब्ध होता है, जैसा भी प्रकरण हो। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही से जुड़े प्रकरणों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग सामान्यता: उस क्षेत्र में रहता है, जिस पर न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार प्रयोग करती है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत होने वाली जाँच और रिट न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के मध्य अत्यधिक अंतर होता है, रिट न्यायालय की कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होती है। सबसे आवश्यक बात बच्चे का कल्याण है। रिट न्यायालय में अधिकारों का निर्धारण केवल शपथपत्र के आधार पर किया जाता है। जहाँ न्यायालय को यह लगता है कि विस्तृत जाँच की आवश्यकता है, वहाँ न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मना कर सकती है और पक्षकारों को सिविल न्यायालय में जाने का निर्देश दे सकती है। मात्र असाधारण प्रकरणों में ही 'हैबियस कॉर्पस' / बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हुए नाबालिग की कस्टडी के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा।

10. उपर्युक्त दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया है और इसे **निर्मला बनाम कुलवंत सिंह: (2024) 10 एससीसी 595** में दोहराया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि: -

"27. ...जहाँ तक किसी नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के प्रकरणों में हैबियस कॉर्पस / बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता का प्रश्न है, इस संबंध में कोई भी कठोर और निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस बात का निर्णय कि क्या रिट न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए या नहीं यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

11. **निर्मला बनाम कुलवंत सिंह** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि: -

29. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्वयं प्रत्यर्थी पिता के प्रकरण के अनुसार इस प्रकरण के विशेष तथ्यों और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिस्थितियों में बच्चे हेतु एक पारिवारिक वातावरण की आवश्यकता थी विशेष रूप से दादा-दादी की ओर से और यह कि उसने नाबालिग बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) उसकी देखभाल हेतु अपीलकर्ता दादी को सौंपी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें अपीलकर्ता दादी ने नाबालिग बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) अवैध रूप से अपने पास रखी हो। अपितु यह प्रत्यर्थी पिता ही था जिसने नाबालिग बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) अपीलकर्ता दादी को सौंपी थी।

30. हमारा सुविचारित मत है कि इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। चूंकि इसमें नाबालिग बच्चे के कल्याण और उसकी पसंद सहित एक विस्तृत जांच शामिल होती, इसलिए ऐसी कार्यवाही केवल संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अधीन ही की जा सकती थी।

31. किसी भी स्थिति में हमारा यह मत है कि 7 वर्ष की कोमल आयु वाले किसी नाबालिग बच्चे को उसके दादा-दादी की कस्टडी (अभिरक्षा) से जिनके साथ वह पिछले लगभग 5 वर्षों से रह रहा है, अलग होने हेतु विवश करना मनोवैज्ञानिक रूप से परेशानियाँ उत्पन्न कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. बच्चों की कस्टडी (अभिरक्षा) एक जटिल मुद्दा है, जिसका निर्णय बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। किसी नाबालिग बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) जो लगातार अपनी माँ के साथ रह रहा हो तब तक नहीं बदली जा सकती, जब तक कि बच्चे के कल्याण से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत जाँच न कर ली जाए। बच्चे के कल्याण का निर्णय तभी किया जा सकता है, जब दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

13. तदनुसार, बच्चे को अवैध निरोध में रखे जाने का कोई प्रकरण न बनने के कारण यह रिट याचिका **खारिज** की जाती है, साथ ही याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह बच्चों की कस्टडी (अभिरक्षा) प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष एक नियमित वाद दाखिल कर सकता है।

30 मार्च 2026

-अमित के-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।